न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 529/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
किशनदान पुत्र हरदान जाति चारण निवासी बोरून्दा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर		तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–6–2015 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2014 अनवान किशनदान बनाम तहसीलदार बिलाडा मे उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प खारिया मिठापुर मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री प्रकाश चौधरी, निशा चौधरी अधिवक्तागण अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 15–11–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामपुरिया की सीमा मे प्रार्थी की खातेदारी कब्जा सुदा जमीन खसरा नंबर 113 के चिपते दक्षिण तरफ खसरा नंबर 114, 114/1 रकबा क्रमशः 3.17 एवं 5.00 बीघा कुल 8.17 बीघा पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है परंतु वक्त सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों की त्रुतिवश वादग्रस्त आराजी की तरमीम 8.17 बीघा की बजाय कम रकबे की तरमीम कर दी तथा इस वादग्रस्त भूमि के चिपते दक्षिण तरफ स्थित भूमि खसरा नंबर 114 जिसका कुल रकबा 8.17 बिस्वा है लेकिन इस खसरा नंबर 114 की तरमीम रकबे से अधिक कर दी जबकि अपीलांट का मौके पर राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा 8.17 बीघा भूमि पर चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी के चिपते मूल खसरा नंबर 114 मे से 5.00 बीघा भूमि आबादी पर आबादी बस जाने से 5.00

बीघा भूमि की किस्म गै.मु.आबादी के रूप मे खसरा नंबर 114/1 एवं खसरा नंबर 114 की शेष भूमि रकबा 3.17 बीघा भूमि गै.मु.गोचर के रूप मे दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नंबर 113 की तरमीम दुरस्ती कर रकबा 8.17 बीघा माफिक राजस्व ट्रेस नक्शा मे तरमीम करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–2015 के द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया जाने पर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय रेकर्ड पर उपलब्ध तथ्यो, साक्ष्य एवं रेकर्ड के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का रामपुरिया की रिपोर्ट जो तहसीलदार बिलाडा को प्रेषित की गई है, उक्त रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है, जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 113 ग्राम रामपुरिया रकबा 8.17 बीघा जो राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी किशनदान पुत्र हरदान जाति चारण निवासी बोरून्दा के खातेदारी मे दर्ज है । मौके पर नाप करने पर यह पाया कि खसरा नबर 113 मे खातेदार किशनदान का कब्जा 8.07 बीघा पर ही है जो नक्शे के मुताबिक 7.10 बीघा ही बनता है इसलिए प्रार्थी के खाते मे दर्ज रकबा से भूमि नक्शे मे 1.07 कम दर्शाई हुई है तथा राजस्व रेकर्ड एवं नक्शा ट्रेस अनुसार पडौसी खसरा नंबर 114 का रकबा नक्शे मे 0.10 बेशी दर्शाया हुआ है । उक्त त्रुटि सेटलमेंट की होना बताया है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज करने मे विधिक त्रुटि की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी /अपीलांट की ओर से अपने पक्ष मे समस्त राजस्व दस्तावेज पेश किये हुए होते हुए तथा रेकर्ड पर राजस्व ऐजेन्सी पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की स्पष्ट रिपोर्ट

होते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते तरमीम दुरस्ती का खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो विधिसम्मत नही होने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–2015 को निरस्त कर राजस्व ग्राम रामपुरिया तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 113 तथा खसरा नंबर 114 का व 14/1 का पुनः नाप चौक कर तरमीम माफिक रकबे रकबे की दुरस्ती की कार्यवाही करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–2015 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार नक्शे मे किसी भी मूल खसरे की सीमा को बिना पर्याप्त सबूत के परिवर्तित नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे जो फाईडिंग देते हुए प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा उसके परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–6–2015 का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट मे यह तथ्य अवश्य प्रकट हुआ है कि खसरा नंबर 113 व 114 की जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 113 रकबा 8.17 बीघा तथा खसरा नंबर 114 रकबा 8.17 बीघा कुल रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा बनता है जबकि नक्शा अनुसार खसरा नंबर 113 का रकबा 7.10 बीघा तथा खसरा नंबर 114 का रकबा 9.07 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा बनता है । इसप्रकार रेकर्ड एवं नक्शे की तुलना मे नक्शे मे खसरा नंबर 113 के रकबे मे 1.07 बीघा की कमी दर्शाई गई है जबकि खसरा नंबर 114 के नक्शे मे 0.10 बीघा की बेशी दर्शाई गई है परंतु सेटलमेंट के समय मूल नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 113 व 114 के मध्य की सीमा भूल या त्रुटिवशः गलत अंकित होना सत्यापित नही होने से भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार नक्शे मे किसी भी मूल खसरे की सीमा को बिना पर्याप्त सबूत के परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत नही होना

मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 114 के नक्शे मे खातेदारी मे दर्ज रकबे की तुलना मे 0.10 बीघा भूमि बेशी दर्शाई गई है जबकि अपीलांट का रकबा खातेदारी की तुलना मे नक्शे मे 1.07 बीघा कम दर्शाया हुआ है । अपीलांट का अपने खातेदारी के रकबे से नक्शे मे दर्ज कम रकबा 1.07 बीघा अन्य किस किस खसरा नंबर मे सम्मलित किया गया है, बहस के दौरान प्रकट करने मे असमर्थ रहे है ।

इसके अलावा प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलांट का यह कथन कि उक्त त्रुटि सेटलमेंट के दौरान कारित की गई तो अपीलांट को सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान ही आपत्ति प्रकट कर उक्त त्रुटि को दुरस्त करवाने की कार्यवाही करवानी चाहिये थी क्योंकि सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार नक्शे मे किसी मूल खसरे की सीमा को बिना पर्याप्त सबूत के परिवर्तित नही किया जा सकता तथा यही अभिमत देते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय पारित किया है ।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–2015 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर